अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

254/18/1225 इइ आशा बनाम नारायण

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	अहकाम हुक्म की तामील जारी हुए
	2018/10 254 श्री विरदुसिंह बनाम श्री	

14.6.19 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट की अपील पर बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की पत्रावली का अवलोकन किया। बाद अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा दिनांक 12.10.2017, प्रकरण संख्या 70/2017 में प्रार्थना पत्र में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 940 रकबा 0.68 है0,खसरा नम्बर 941 रकबा 0.79 है0, खसरा नम्बर 972 रकबा 0.07 है0, खसरा नबर 973 रकबा 0.27 है0, खसरा नम्बर 974 रकबा 0.13 है0, खसरा नम्बर 1050 रकबा 0.90है0, कुल किता 6 कुल रकबा 2.84 है0, भूमि में प्रार्थीगण का 2/8 हिस्सा तथा खसरा नम्बर 909 रकबा 0.07है0, खसरा नम्बर 910 रकबा 1.25है0, खसरा नम्बर 911 रकबा 0.05 है0, खसरा नम्बर 912 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 913 रकबा 0.03 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 1.55 हैक्टर भूमि में प्रार्थीगण का 2/8 हिस्सा बाबत् आगामी पेशी तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की है। अपीलांट के पिता की स्वअर्जित आराजीयात खसरा नम्बर 909, 910, 911, 912, 913 है एवं उनके खातेदारी की आराजी है पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किये है। अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र अन्तिम निस्तारण तो अधीनस्थ न्यायालय का ही करना है। न्यायहित में मान्नीय राजस्व मण्डल राज.अजमेर के आदेश दिनांक 14.07.2010 बउनवानी हुकुम सिंह बनाम राज्य सरकार (आर.आर.टी. 2011 पेज 01) के न्यायिक दृष्टात को मध्यनजर रखते हुए एवं पक्षकारान के समय तथा आर्थिक व्ययता को मध्यनजर रखते हुए, हम अपील को इसी स्तर पर निर्णित कर प्रकरण को इस आशय से प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है कि वे प्रार्थना पत्र का 30 दिवस में उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर देते हुए गुणावगुण पर निर्णित करें। तब तक विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 909, 910, 911, 912, 913 की पालना स्थगित रखी जायेगी।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को अभिभाषक अपीलांट के प्रस्तुत कथन एवं शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

तत्पश्चात अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का गुणावगुण पर उक्त आदेश से 30 दिवस में निस्तारण करें। तब तक विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 909, 910, 912, 913 वाकै ग्राम दूदू तहसील, दूदू की पालना स्थगित रखी जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण होने पर न्यायालय हाजा का आदेश स्वतः निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को रिकार्ड के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील अधिकारी
अजमेर